



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क० निगरानी -एक / 16

लिंग० १५५१-३/१६

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मोप्र०
19/5/16

राजेन्द्र कुमार तनय श्री भिमा अहिरवार
आयु 37 वर्ष निवासी ग्राम देरी, तहसील व
जिला छतरपुर म०प्र०

आवेदक

विरुद्ध

टूडा तनय श्री रजवा चमार
निवासी ग्राम गहरवार, तहसील व जिला
छतरपुर म०प्र०,

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
12.04.2016 पारित होना न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, तहसील व
जिला छतरपुर प्र०क० 108/अ-6/अपील/2015-16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत
है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1— यह कि, आवेदक राजेन्द्र कुमार तनय श्री भिमा अहिरवार ने दिनांक 5 जुलाई 2014 को टूडा तनय श्री रजवा चमार से विक्रय-पत्र होना वाद भूमि खरारा नम्बर 3756 रकवा 1.100 हैक्टेयर भूमि 3,52000/- (तीन लाख बावन हजार रुपये) में क्या की।

2— यह कि, उक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदक ने न्यायालय नायब तहसीलदार ईशानगर तहसील छतरपुर के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन लगाया। नायब तहसीलदार ईशानगर ने प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2014-15 पंजीबद्ध कर अपना

19/5/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1551-एक/16

जिला - छतरपुर

संख्या एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पंचकारी एवं अभिभाषणों हस्ताक्षर
8.12.16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपरिथित। उनके द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण आगे न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>सदृश्य</i></p>	